पत्रांक–11 न0वि0 अभि0(को0) 83/2018 –1103– न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
रोहतास।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, नासरीगंज।

पटना, दिनांक– 5/9/18

विषयः– मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं 14वाँ वित्त आयोग के योजनान्तर्गत योजनाओं का परिमाण विपत्र के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नासरीगंज का पत्रांक–1091 दिनांक –14.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं 14वाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत वार्ड नं0–01 से 14 तक कुल 29 योजनाओं का परिमाण विपत्र जिसकी राशि रूपये दस लाख से कम है, अनुमोदन हेतु भेजा गया है। उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है कि नही, इसका उल्लेख नही किया गया है। साथ ही स्वीकृत प्राक्कलन में 6′ से कम का चौड़ाई वाले योजनाओं में देखा गया है कि पेभर ब्लॉक लगाने की बजाय पी0सी0सी0 कार्य स्वीकृत किया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत नासरीगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त योजनाओं की प्रदान की गयी प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय, ताकि योजनाओं का परिमाण विपत्र अनुमोदन किया जा सके।

विश्वासभाजन,

05/9/18

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

D:\JANARDAN\Shailendra Sir\Lotry Letter.docx